BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. No.345 of 2022

IN THE MATTER OF:

Uday Education & welfare Trust
Through its Authorized Signatory ...Applicant

VERSUS

State of U.P. & Ors. ...Respondents

N.D.O.H. 09.01.2023

INDEX

S. No.	Particulars	Page No.
1.	Additional Affidavit on behalf of Applicant.	1 – 6
2.	**ANNEXURE A-1** A Copy of Trust Deed dated 27.12.2013 registered on 30.12.2013.	7 – 21
3.	**ANNEXURE A-2** Copy of Authorization Certificate issued by National Early Childhood Care & Education on 08.01.2014.	22
4.	**ANNEXURE A-3** A copy of relevant portion of the Register of Minutes of Meeting.	23 – 33
5.	**ANNEXURE A-4** A copy of Letter of Conservator of Forest dated 28.02.2018 and the photo of the machinery.	34 – 39
5.	**ANNEXURE A-5** A copy of newspaper published article.	40
6.	**ANNEXURE A-6** A copy of Order dated 14.10.2022 passed by this Hon'ble Tribunal.	41 – 43
7.	PROOF OF SERVICE	44

Place: New Delhi
Filed On: 07.01.2023

THROUGH

Ankit

(ANKIT VERMA)
Advocate for the Applicant
M-49 (L.G.F.), Mandir Marg,
Saket, New Delhi-110017
MOB-9899300224
E-Mail: ankitv0023@gmail.com

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A. No.345 of 2022

IN THE MATTER OF:

Uday Education & welfare Trust
Through its Authorized Signatory ...Applicant

VERSUS

State of U.P. & Ors. ...Respondents

ADDITIONAL AFFIDAVIT

I, Sanjeev Kumar S/o Sri Jagpal Singh, aged about 48 Years, R/o Village Bhurahedi Post Purkaje, District Muzaffarnagar, U.P., presently at New Delhi do hereby solemnly affirm and state as under: -

1. That I am the Authorized Signatory of Uday Educare & Welfare Trust/ applicant in the above mentioned matter and as such fully acquainted with the facts of the case, hence competent to swear this affidavit.
2. That the applicant Educare and Welfare Trust is a registered Trust bearing Trust Registration No.362 of 2013. The applicant Trust was duly registered with the Sub-Registrar, District Muzaffarnagar, U.P. w.e.f. 30.12.2013 in Book No.4 Volume No.151 Page No.377 to 400 at Serial No.362. The Trust Deed consist the clause indicating the place of working. As per Clause 2 of the Trust Deed, the Office or any Branch may be open in anywhere in India. The Clause 3 of the Trust Deed provides the objects of the Trust, wherein the object of the Trust have been well defined containing the Clause regarding protection of Environment for plantation of Trees etc. A Copy of Trust Deed dated 27.12.2013 registered on 30.12.2013 is enclosed herewith as **ANNEXURE A-1** to this affidavit.
3. That the applicant Trust is engaged in various Social activities like providing Free Education to Socially Backward Children and also to take care of these children by providing various books, scholarships to the children as per their needs. The applicant has been authorized as study center for the correspondence examination system under National Early Childhood Care & Education. The applicant is

APPOINTED BY GOVT. OF INDIA
HARKESH
ADV. & NOTARY
Regn No. 19709
NOTARY PUBLIC

engaged in the Education and Childhood Care activities by providing their services to various other organizations. In this regard an Authorization Certificate was issued National Early Childhood Care & Education on 08.01.2014, copy of which is enclosed as **ANNEXURE A-2** to this affidavit.

4. That the applicant is a Charitable Trust and carrying its activities in the small town in Muzaffarnagar, U.P. The applicant Trust consist President, Vice-President, Secretary, Treasurer and other Trustees. The Trust is being run on the personal grants given by these members to the Trust as and when require in the interest of carrying the object of the Trust. The applicant Trust is also receiving small contribution and donation from the villagers and the parents of the children. The applicant is maintaining its Register of Minutes of Meeting. A copy of relevant portion of the Register of Minutes of Meeting is enclosed herewith as **ANNEXURE A-3** to this affidavit.

5. That the applicant or any of its Trustee or Member are not involved in any timber business activities and they are mainly agriculturist and part of the society for Social activities. None of the member is involved in any Wood Based Industry nor manufacturing any wooden material.

6. That some of the members found that a lot of small machineries are operating in the agriculture fields in vicinity to their fields and these machineries are cutting fruit bearing trees and other rare species like Jamun, Sehtut, which are largely produced in the area. Since the Trustees are aware about the value of these fruit bearing trees and other trees which are worshiped by the local people like species Neem, Piple, Bargad etc. These machineries were operating in large number and upon asking about their licenses from their operators they could not give the satisfactory reply. The applicant made several complaints to the local forest department and the Higher Officers at Muzaffarnagar, Saharanpur etc. Despite the complaints none of the department took any action against the illegal operation of these machineries. Since these machineries were illegally operating and causing lot of environmental pollution in the nearby area, therefore it

APPOINTED BY GOVT. OF INDIA HARKESH ADV. & NOTARY Regn No. 19709 NOTARY PUBLIC

was deemed fit to take further course of action by the applicant in order to save the future of the children. It is submitted that in the nearby area of the applicants place, it was found that hundreds of tractor-trollies filled with timber are being taken away from the nearby forest in the night illegally with the connivance of the local administration. Thus the applicant became anxious to take necessary steps before the competent courts of law to stop the environmental loss, which is being caused by rampant and illegal felling of live fruit bearing trees.

7. That the applicant and other persons were largely affected by the illegal cutting of wood through operation of illegal machineries, thus the repeated complaints were being made at the behest of the applicants and other Social Workers but the local Forest Department were not paying any heed to the grievance of the local people as large number of trees were being cut by operation of different type of illegal machineries. One of the example of the such illegal machine like compressor machine, by which the thick round timber was pressed into different irregular pieces. These irregular pieces were totally waste commercially. The complaints were made even in the year 2018 but the department did not take any action on the private complaints made by individual persons. Though the local administration sought clarification from PCCF, Lucknow but did not take any action for stopping the operation of these illegal machineries. A copy of Letter of Conservator of Forest dated 28.02.2018 and the photo of the machinery are enclosed herewith as **ANNEXURE A-4** to this affidavit.

The applicant also raised concern and made complaints about felling of green trees in the nearby area in the district. The regular complaints were being made for illegal felling of trees as the District Muzaffarnagar and Saharanpur are the area where illegal felling of trees was taking place rampantly with the connivance of the department. A copy of newspaper published article is enclosed herewith as **ANNEXURE A-5** to this affidavit.

APPOINTED BY GOVT. OF INDIA
HARKESH
ADV. & NOTARY
Regn. No. 19709
NOTARY PUBLIC

8. That It was felt by the local persons that some fruitful legal action ought to have been taken against these illegal operation of machineries, thus it was decided that instead of individual complaint the necessary legal action should be taken through applicant in view to carry out effective legal proceeding. Thus, these persons made small contribution to the applicant in the nature of expenses only and the applicant being already involved in the issues of the environmental protection thus started to take necessary legal action against the miscreants.

The applicant contacted the advocates at High Court at Allahabad and before NGT and Hon'ble Supreme Court to provide the legal help *Pro Bono* as the matter is related with the protection of environment and in the interest of Society & public at large. It is submitted that the counsels of the applicant are contesting and appearing on behalf of the applicant *Pro Bono* and nominal expenses are being paid by the applicant after collecting the small donation of Rs.2000/- - Rs.5000/- from the members of the Trust or voluntarily donors.

9. That at the cost of repetition it is again submitted that none of the member of Trust is involved in any Timber based manufacturing activity and the entire action is being taken only in bonafide manner to secure the future of the children by providing them a habitable environment. The applicant had organized the camp about the environment awareness among the children at several occasions.

11. That the applicant found that lot of big trollies carrying small chips and pieces of the timber are being transported from the nearby forest of the applicant's town. These trollies and trucks were not only carrying the illegal pieces of the timber but also became the main cause of several road accidents due to transportation of these Heavy Loaded Trucks. It is submitted that these chips and small wooden pieces were being transported in such a manner that the entire road of the village used to block due to a single trolley. The applicant inquired about the use of this material then the applicant came to know that these material are being used by MDF/ HDF and Particle

Board Units. The aforesaid illegal machineries chipping the round timber into small piece of small chips in violation to the U.P. Saw Mills Rules, 1978.

12. That it is submitted that the applicant was not interested in any manner either operation or stopping of any of the wood based industries as the applicant is not involved in any such activity. Further the State of U.P. till date has no MDF/ HDF and Particle Board Unit operative in the State as per the information received by the applicant. Thus, the applicant may not be interested in any manner for filing the present petitions before this Hon'ble Tribunal or before any other court of law. The sole purpose for filing the petition is to regulate the Wood Based Industries and the machineries which are being operating illegally. This Hon'ble Tribunal in another matter bearing O.A. No.118 of 2022 passed the order dated 14.10.2022 on the basis of report received from the Joint Committee, which recommended that the Chipper/ Cutter Machineries required to be inventorised and regulated through a Guidelines made by the Forest Department. A copy of Order dated 14.10.2022 passed by this Hon'ble Tribunal is enclosed herewith as **ANNEXURE A-6** to this affidavit.

13. That the present petition is also raising the issue whereby the applicant is praying to direct the respondents to issue the licenses to MDF/ HDF plants for their operation. By virtue of the impugned notification the respondent has exempted these units from purview of the license which would allowed to establish several MDF/ HDF units without any check and balance by the department. Further these industries to fulfill their requirement of raw material would procure wooden chips from illegal sources, machineries etc.

14. That the prayer in the present petition may not be guided by any personal interest of the applicant as the prayer is based for regularization of the illegal machineries as directed by the Hon'ble Supreme Court. The letter and spirit of the present petition is totally bona fide in nature and in the interest environment only. The applicant has brought into the knowledge to this Hon'ble Tribunal

APPOINTED BY GOVT. OF INDIA
HARKESH
ADV. & NOTARY
Regn No. 19709
NOTARY PUBLIC

about an issue which raise serious concern about the environment and this Hon'ble Tribunal by exercising its power may also take *Suo Moto* action in discharge of its function. The Hon'ble Supreme Court has endorsed the *Suo Moto* power of this Hon'ble Tribunal.

15. That the applicant most respectfully submits that the present application has been filed in bona fide manner and the applicant would not get any self-gain out of the present application. By perusal of the contents of the applicant it is apparent that the impugned notification is apparently illegal and in violation to the orders of the Hon'ble Supreme Court. Thus, the Hon'ble Tribunal may pass order by taking into consideration the seriousness of the issue and in the interest of safeguard of environment.

16. That the Annexures of the petition are true copies of their respective originals.

17. That the facts stated in the above paragraphs of my affidavit are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

संजीव कुमार

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at New Delhi on this 07th of January, 2023 that the contents of this affidavit are true to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing has been concealed there from.

संजीव कुमार

DEPONENT

APPOINTED BY GOVT. OF INDIA * NOTARY PUBLIC * HARKESH ADV. & NOTARY Regn No. 19709

ATTESTED

NOTARY PUBLIC

07 JAN 2023

7

ANNEXURE A-1

INDIA

FIVE HUNDRED RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

S 779621

ट्रस्ट

उदय ऐजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0)

यह ट्रस्ट डीड आज दिनांक 27/12/2013ई0 को श्री अमित कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार निवासी ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर, जिसको आगे संस्थापक (मैनेजिंग ट्रस्टी) कहा गया है, के द्वारा निष्पादित किया गया है

चूंकि संस्थापक पिछले काफी समय से समाज के सामान्य व्यक्तियो के लिये एवं आर्थिक रूप से कमजोर पिछडे समाज की उन्नति एवं शिक्षा व चिकित्सा क्षेत्र मे सहायता के लिये तथा अन्य धर्नार्थ कार्यो हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने का इच्छुक है और चूंकि संस्थापक इच्छुक है कि ट्रस्ट पर ऊपर दिये गये

अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

8

भारतीय गैर न्यायिक

सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 963038

इन उद्देश्यो को पूरा करे और उन सभी कार्यक्रमो तथा क्रियाकलापो जिन्हें ट्रस्ट के सदस्य उचित समझे, क्रियान्वित करे और चूंकि ट्रस्ट के ट्रस्टी, ट्रस्ट के उद्देश्यो को पूरा करने के लिये सहमत है।

अतः मै अनित कुमार संस्थापक/अध्यक्ष उदय ऐजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की स्थापना करता हूँ और उपरोक्त उद्देश्यो को पूरा करने हेतू प्रारम्भिक रूप से अंकन 1,000/- (एक हजार) रुपये मात्र ट्रस्ट को देता हूँ जिसे ट्रस्टी, ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यो एवं अन्य धर्नार्थ कार्यो को पूर्ण करने के लिये संचित करेंगे।

1. <u>नाम</u> :- उपरोक्त ट्रस्ट का नाम उदय ऐजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट होगा।

2. <u>स्थान</u>:- इस ट्रस्ट का मुख्य कार्यालय ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा जिला मुजफ्फरनगर (उ0प्र0) होगा। इस ट्रस्ट के ट्रस्टी संस्थापक की सहमति से मुख्य कार्यालय या शाखा या इसके अन्तर्गत कोई अन्य संस्थान भारतवर्ष में कहीं भी खोल सकते है अथवा स्थानांन्तारित कर सकते है।

3. <u>ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्य</u>:-

(अ) इस ट्रस्ट की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतू की गयी है:-

1. समाज के आर्थिक रूप से पिछडे वर्ग जो चाहे किसी भी जाति अथवा धर्म के

Anil Kumar

Anil Kumar
अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

9

बही सं0 2 रजिस्ट्री की तिथि 27-12-13

जिल्द सं0 1051

पृष्ठ सं0 1 पर

सुधीर मिश्रा
स्टाम्प विक्रेता कलक्ट्रेट मुजफ्फरनगर
लाईसेंस नं0-004
लाईसेंस की अवधि-31-3-2018

4,000.00	100.00	20	120.00	700
ऋण की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री सुशील कुमार
व्यवसाय शिक्षक
निवासी स्थायी : ग्राम रामपुर, रामपुर तिरोहा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर
अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 30/12/2013 समय 11:19AM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम माहेश्वरी [अनिल सिंह नि0लि0]
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर
30/12/2013

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री सुशील कुमार
पेशा शिक्षक
निवासी ग्राम रामपुर, रामपुर तिरोहा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान श्री रवीन्द्र कुमार
पुत्र श्री मान सिंह
पेशा कृषि
निवासी [illegible] क0 बरला जिला मुजफ्फरनगर

व श्री ललित कुमार
पुत्र श्री सुशील कुमार
पेशा कृषि
निवासी रामपुर जिला मुजफ्फरनगर

ने की।
प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम माहेश्वरी [अनिल सिंह नि0लि0]
प्र0उपनिबन्धक प्रथम
मुजफ्फरनगर

अध्यक्ष
उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

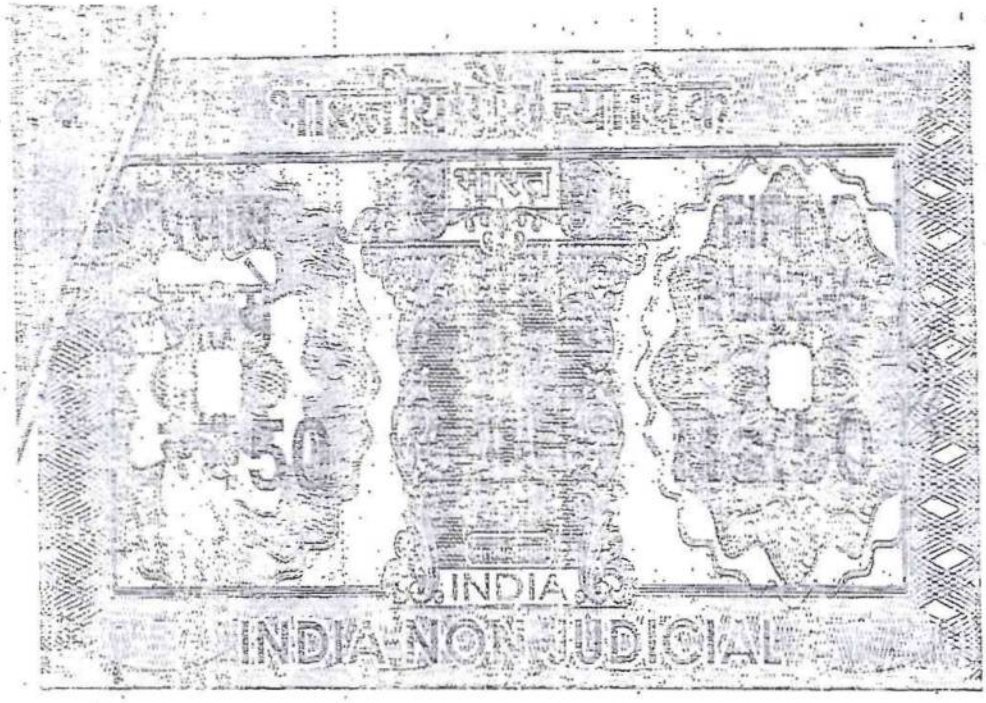

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 650554

3

हो, विद्यार्थियो को उच्च कोटि की प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, कम्पयूटर शिक्षा आदि, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना।

2. आर्थिक रूप से पिछडे समाज से सम्बन्धित विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति, पाठयपुस्तको एवं कम्पयूटर शिक्षा मे सहायता उपलब्ध कराना एवं उन्हे उच्च शिक्षा हेतु प्रायोजित करना।

3. समाज के वरिष्ठ नागरिको की सहायता हेतु वृद्ध आश्रमो की स्थापना करना, गऊशालाएं बनवाना, पर्यावरण, वृक्षारोपण, खेलकूद को प्रोत्साहित करना व खेल प्रतियोगिता कराना, आदि।

4. समाज के विद्यार्थियो की शिक्षा हेतु तकनीकी, चिकित्सा, प्रबन्ध एवं अन्य व्यवसायिक शिक्षा एवं काम्पयूटर विज्ञान, डिग्री कालेज, के शिक्षा संस्थानो की स्थापना करना एवं उन्हे सुचारू रूप से चलाना।

5. उच्च स्तरीय प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं सभी प्रकार के शिक्षा व शोध संस्थानो की स्थापना करना एवं उन्हे सुचारू रूप से चलाना।

6. ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थानो के लिये अध्यापको/प्राध्यापको एवं विषय विशेष मे उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो को एवं व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त व्यक्तियो को ट्रस्ट द्वारा स्थापित किये गये संस्थानो मे नियुक्त करना।

अध्यक्ष
हृदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

11

क्रम सं. 3 ... प्रस्तुतिकरण की तिथि 2-4-2013

प्राप्ति शुल्क 50/-

... पृष्ठ 1 किया।

सुनील सिंह
उप निबंधक, मुजफ्फरनगर
... 31-3-2018

स्वामी

Registration No.: 362 Year: 2,013 Book No.: 4

0101 अनिल कुमार

सुशील कुमार

ग्राम रामपुर, रामपुर, परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

निवेदक

अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

7. समाज को उचित मूल्य पर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल प्राथमिक चिकित्सालय नर्सिंग होम की स्थापना कराना एवं उन्हे सुचारू रूप से चलाना।

8. ट्रस्ट के अन्तर्गत चिकित्सा एवं शिक्षा संस्थानो मे विद्यार्थियो के आवास की व्यवस्था करना व सरकारी योजनाओ का क्रियान्वयन करना।

9. ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतु समाज के अन्य व्यक्तियो, संस्थानो, सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओ, व्यापारिक प्रतिष्ठानो से नकद दान एवं वस्तु के रूप मे सहायता स्वीकार करना।

10. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतू खरीद, दान, पट्टे के द्वारा भूमि, भवन अर्जित करना, अथवा भवन निर्माण एवं अन्य स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्तियो का निर्माण करना।

11 यह कि उर्दू, अरबी, फारसी मदरसो की स्थापना करना और ट्रस्ट को शिक्षा निर्देशालय लखनऊ द्वारा बोर्ड के रूप मे मान्यता दिलवाना।

12. भारतीय संविधान के अनुसार अल्पसंख्यक विद्यालयो का निर्माण व विकास करना।

13. प्रदेश, केन्द्र सरकार व निजी संस्थाओ द्वारा चलायी जा रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओ के क्रियान्वयन मे सहयोग करना।

14. उर्दू, अरबी, फारसी मदरसे व इस्लामिक स्कूलो का निर्माण व संचालन करना व सम्बन्धित बोर्ड से मान्यता प्राप्त करना।

15. गरीब महिलाओं के लिये सिलाई–कढाई व अन्य रोजगार परक प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना।

16. बेरोजगारी दूर करने के लिये लघु व मध्यम स्तर के उद्योगो के प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्र स्थापित करना।

17. पर्यावरण सुरक्षा के लिये वृक्षारोपण करना व लोगो को जागरूक करना।

18. शहरी वं ग्रामीण वर्ग के गरीब लोगो को छोटी–छोटी बचत का महत्व समझाकर उनमे समूह मे बचत करने की आदत डालना।

19. असंगठित क्षेत्र के मजदूरो व कारीगरो का स्वयं सहायता समूह का निर्माण कराना व उनको सरकारी योजनाओ के बारे मे अवगत कराना।

20. ग्रामीण क्षेत्र मे उपलब्ध रोजगार के अवसर की जानकारी एकत्र करना व क्षेत्र के लोगो को रोजगार से सम्बन्धित उपलब्ध निजी व सरकारी सहायता उपलब्ध कराना।

21. ग्रामीण व शहरी क्षेत्रो मे निजी व सरकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे पेयजल

अध्यक्ष
अदब एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

व स्वच्छता कार्यक्रमो मे सहभागिता करना।

22. गरीब विद्यार्थियो को छात्रवृत्ति पाठ्य पुस्तके हेतू स्वयं, निजी व सरकारी सहायता उपलब्ध कराना।

23. यह कि वरिष्ठ नागरिको की सहायता के लिये वृद्धाश्रम स्थापित करना।

24. विद्यार्थियो की शिक्षा के लिये तकनीकी चिकित्सा, प्रबन्ध व दूसरी व्यवसायिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा के लिये डिग्री कालेज/विश्वविद्यालय की स्थापना करना व सुचारू रूप से चलाना।

25. ट्रस्ट द्वारा स्थापित संस्थानो के लिये आवश्यकतानुसार अध्यापक, प्राध्यापक व अन्य पदो के लिये योग्य व्यक्ति की नियुक्त करना।

26. समाज को उचित मूल्य पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अस्पतालो की स्थापना व संचालन करना।

27. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये समाज के अन्य व्यक्तियो, संस्थानो, सरकारी व निजी संस्थाओ से दान व वस्तुओ के रूप मे सहायता प्राप्त करना।

28. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतू खरीद, दान, पट्टे के द्वारा भूमि व भवन अर्जित करना और भवन निर्माण व अन्य स्थायी व अस्थायी सम्पत्तियो का निर्माण करना।

29. समाज के आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, शारीरिक सुधारो के लिये किये जा रहे सभी प्रकार के प्रयासो चाहे वह निजी अथवा सरकारी स्तर पर हो, ट्रस्ट की ओर से सहभागिता करना।

30. ट्रस्ट द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओ के साथ साथ दूसरे संस्थानो में शिक्षा ले रहे छात्रो हेतू उचित दर पर आवास के प्रबन्ध के लिये छात्रावासो को स्थापित व संचालित करना।

31. प्रौढ, विकलांग व गरीब वर्ग के लोगो के लिये अलग से विशेष विद्यालयो व शिक्षण संस्थाओं का निर्माण करना।

(द) इस ट्रस्ट की स्थापना धर्मार्थ कार्यो हेतू की गयी है ट्रस्ट की सभी आय एवं निधियो एवं सम्पत्तियो का प्रयोग केवल ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतू ही किया जायेगा। ट्रस्ट की निधियो एवं सम्पत्तियो का प्रयोग आयकर अधिनियम 1961 की धाराओ एवं उपबन्धो और उनमे किये गये संशोधनो के अनुसार ही किया जायेगा।

<u>4. ट्रस्टियो की संख्या:-</u> न्यासियों (ट्रस्टीगण) की संख्या इस समय पाँच होगी तथा न्यास (ट्रस्ट) की आवश्यकताओं व सुविधाओं को देखते हुए यह संख्या बढाई जा सकती है:-

1. संस्थापक/संचालक/अध्यक्ष:- अनिल कुमार पुत्र श्री सुशील कुमार निवासी ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा परगना व तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

अध्यक्ष
उदय एजूकेशन एण्ड वैलफेयर ट्रस्ट

2. उपाध्यक्षः— दुष्यन्त कुमार पुत्र श्री श्रवण कुमार निवासी ग्राम व पोस्ट खाईखेडी परगना पुरछपार तहसील व जिला

3. सचिवः— दिनेश कुमार त्यागी पुत्र श्री धर्मवीरसिंह निवासी ग्राम फलौदा परगना पुरछपार तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

4. कोषाध्यक्षः— श्रीमति शिखा शर्मा पत्नि श्री अमित कुमार निवासी ग्राम रामपुर रामपुर तिराहा जिला मुजफ्फरनगर

5. संरक्षकः— श्रीमति पिंकी पत्नि श्री दिनेश कुमार त्यागी निवासी ग्राम फलौदा परगना पुरछपार तहसील व जिला मुजफ्फरनगर

5. ट्रस्ट की निधियां:— ट्रस्ट की निधियो मे निम्नलिखित सम्मिलित होंगा:—

1. संस्थापक द्वारा दिया गया दान

2. समाज के अन्य व्यक्तियो द्वारा दिया गया दान जो कि ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यो के विरूद्ध न हो।

3. ट्रस्ट के संस्थानो द्वारा ली गयी शैक्षिक फीस।

4. ट्रस्ट द्वारा अपने उद्देश्यो की पूर्ति कराये गये कार्यक्रमो से प्राप्त दान तथा आय।

5. ट्रस्ट की निधियो के निवेश से प्राप्त आय।

6. सरकारी/गैरसरकारी स्वायत्त संस्थाओ, व्यापारिक संस्थाओ से प्राप्त दान, अनुदान, उपहार, नकद अथवा किसी भी प्रकार की सम्पत्ति इत्यादि।

7. अन्य आय।

6. प्रबन्धनः—

1. ट्रस्ट का संचालन बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के द्वारा किया जायेगा जिसके प्रथम आजीवन सदस्य उपरोक्त दिये हुए संस्थापक व ट्रस्टी होगे।

2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की सदस्य संख्या न्यूनतम 5 व अधिकतम 11 (ग्यारह) होगी।

3. यदि कोई सदस्य ट्रस्ट के मुख्य उद्देश्यो के विरूद्ध कार्य करेगा तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अधिकार होगा कि बहुमत के आधार पर उसे अयोग्य घोषित कर निष्कासित कर दिया जाये ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष एवं सचिव की सहमति आवश्यक एवं निर्णायक होगी किन्तु किसी भी परिस्थितियो मे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी संस्थापक (अध्यक्ष) को निष्कासित नही किया जा सकेगा।

4. ट्रस्ट के कार्यो के प्रबन्ध से सम्बन्धित सभी निर्णय बहुमत के आधार पर किये जायेंगे। किसी भी विवाद की अथवा असहमति की स्थिति मे अध्यक्ष का निर्णय

अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

5. यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट से पृथक होना चाहे तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बहुमत के आधार पर उनका त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगा एवं उनके रिक्त स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का नामांकन कर सकेगा। ऐसे निर्णय पर अध्यक्ष की सहमति अनिवार्य होगी।

6. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के लिये सदस्यो की न्यूनतम संख्या 3 (तीन) अथवा सम्पूर्ण सदस्यो की संख्या का एक तिहाई, दोनो मे से जो भी अधिक हो, होगी।

7. विशेष परिस्थिति मे किसी भी प्रस्ताव का निर्णय सदस्यो को लिखित रूप मे प्रस्ताव भेज कर किया जा सकता है ऐसे सभी लिखित प्रस्तावो पर आधे से अधिक सदस्यो की सहमति से वह प्रस्ताव सुचारू रूप से पारित किया माना जायेगा परन्तु ऐसे सभी प्रस्तावो पर अध्यक्ष की सहमति अनिवार्य होगी।

7. <u>ट्रस्टी एवं उनकी नियुक्ति</u>:–

1. ट्रस्ट के संस्थापक एवं उपरोक्त ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रथम आजीवन ट्रस्टी होंगे।
2. उपरोक्त दोनो को यह अधिकार होगा कि वह आपसी सहमति से समाज के अन्य गणनान्य व्यक्ति को किसी भी समय ट्रस्ट का ट्रस्टी बनने के लिये आमन्त्रित कर सकते है।

8. <u>ट्रस्ट की कार्यकारिणी</u>:–

1. ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक अध्यक्ष होंगे।
2. ट्रस्ट के प्रथम ट्रस्टी ट्रस्ट के आजीवन अवैतनिक सचिव होंगे।

9. <u>अध्यक्ष के कार्य एवं अधिकार</u>:–

1. ट्रस्ट के अन्तर्गत स्थापित संस्थानो के मुख्य कार्यधिकारी निदेशक एवं अन्य कार्मिको की नियुक्ति बोर्ड के निर्देशानुसार करना।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठको की अध्यक्षता करना।
3. विषयसूची के बाहर कोई भी प्रस्ताव रखने की स्वीकृति प्रदान करना।
4. ट्रस्ट की तरफ से इकरारनामा करना।

10. <u>सचिव के कार्य एवं अधिकार</u>:–

1. ट्रस्ट को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व सचिव पर होगा।
2. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की अथवा उसकी समिति/उपसमितियो की बैठक बुलाना एवं

अध्यक्ष
उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

उन बैठकों मे उपस्थित रहकर उनका ब्यौरा रखना।

3. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के समस्त प्रस्तावो को कार्यवाही रजिस्टर मे लिखना एवं भविष्य की योजनाओ से बोर्ड को अवगत कराना एवं उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त कराना।

4. आय व्यय का लेखा रखना तथा अंकेक्षण (ऑडिट) कराकर बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करना।

5. संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति के कागजात रखना और उसकी देखभाल करना।

6. संस्था की तरफ से इकरारनामा करना।

7. संस्था की तरफ से पत्र व्यवहार करना एवं न्यायालय सम्बन्धी कार्य देखना।

11. <u>बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के कार्य एवं अधिकार</u>–

(अ) सभी सैद्धान्तिक निर्णय बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टी द्वारा बहुमत के आधार पर किये जायेगे। असहमति अथवा विवाद की स्थिति मे अध्यक्ष का सयुक्त निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा।

(ब) <u>उपरोक्त सामान्य अधिकारों के अलावा बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को निम्न अधिकार होगे</u>–

1. सचिव द्वारा प्रस्तुत किये गये आय व्यय के लेखो को अपनी स्वीकृति प्रदान करना।

2. ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ति हेतू किये गये व्ययों की स्वीकृति प्रदान करना।

3. ट्रस्ट के कार्य हेतू नियम उपनियमो की रचना करना एवं समय–समय पर उनमे परिवर्तन, परिवर्धन एवं संशोधन करना।

4. आवश्यकता पडने पर विशेषज्ञ एवं सलाहकार अथवा कर्मचारियो की नियुक्ति करना एवं उनके अधिकारो को परिभाषित करना।

5. ट्रस्ट के संचित निधियो को आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानो के अनुसार ट्रस्ट के धन को जो तुरन्त अपेक्षित न हो, प्रतिभूतियो या अन्य किसी विधि से निवेश हेतू अध्यक्ष को निर्देशित करना।

6. बोर्ड ऑफ़ ट्रस्ट को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी दान सहायता चाहे यह सहायता नकद अथवा चल अचल सम्पत्ति के रूप मे हो, को स्वीकार कर

अध्यक्ष
उदय एज्यूकेयर एण्ड हेल्थकेयर ट्रस्ट

सकता है परन्तु यह प्रतिबन्ध यह है कि इस प्रकार कोई सहायता अथवा दान ट्रस्ट के उद्देश्यो एवं मूल सिद्धान्तो के विपरीत न हो ट्रस्ट के कोष मे अतिरिक्त धन होने पर ट्रस्ट के बैंक मे ही जमा किया जायेगा तथाचल व अचल सम्पत्ति जो ट्रस्ट को प्राप्त होगी उसको अधिकृत रूप से प्राप्त किया जायेगा तथा उसे आवश्यकता अनुसार उचित मूल्य मिलने पर हस्तान्तरण किया जा सकेगा।

7. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतू भूमि अथवा अन्य चल अचल सम्पत्ति का अर्जन करना तथा उस पर भवन तथा अन्य सुविधाओ का निर्माण करना।

8. ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिये अध्यक्ष व सचिव द्वारा किये गये खर्चो की अनुमति प्रदान करना व उसका भुगतान करना।

9. संस्था की आवश्यकताओ के अनुसार बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओ से ऋण प्राप्त करना एवं ऋण प्राप्त करने की प्रतिभूति हेतू ट्रस्ट की सम्पत्तियो को बन्धक रखना।

10. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यो की प्राप्ती हेतू किये जाने वाले समस्त कार्य आवश्यकतानुसार कर सके।

11. ट्रस्ट की अतिरिक्त चल अचल सम्पत्ति को उचित मूल्य पर हस्तान्तरित करना।

12. ट्रस्ट को चलाने के लिये कोई समिति उपसमिति विशेषज्ञ और परामर्शीय व्यक्ति या अभिकर्ता या अटॉर्नी, जो वह आवश्यक समझे ऐसे पारिश्रमिक पर या उसके बिना और ऐसे निबन्धनो तथा शर्तो पर, जो वह उचित समझे नियुक्त करना और ट्रस्ट के उद्देश्यो को क्रियान्वित करने के लिये ऐसे व्यय करना और इस प्रयोजन के लिये किसी सदस्य को नियुक्त करने और प्रतिपूर्ति करने की शक्ति सहित ऐसी समस्त शक्तियो से उसे विनिहित करना।

13. न्यायालय मे या उसके बाहर समस्त वाद, कार्यवाही और अन्य कार्यवाहियो को संस्थिति करना, अभियोजित करना, प्रतिरक्षा करना, तैय करना, समझौता करना, या प्रश्नन करना और सब मतभेद और मांगे तैय करना और ऐसा कोई या समस्त वाद, कार्यवाही एवं कार्यवाहियां, मतभेद और मांगे मध्यस्त को निर्दिष्ट करना और ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी लेखो का समायोजन करना, तैय करना और उनसे सम्बन्धित सभी कार्य करना।

12. ट्रस्ट के नियमः—

1. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की मिटिंग की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे अथवा उनकी अनुपस्थिति

अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

10

मे बैठक की अध्यक्षता सचिव करेंगे।

2. बोर्ड की मिटिंग प्रत्येक तीन माह मे एक बार होगी। बोर्ड की बैठक के लिये न्यूनतम दो सदस्य अथवा कुल सदस्यो का एक तिहाई जो भी अधिक होगा की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

3. ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष एक अप्रैल से इकत्तीस मार्च होगा।

4. बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा।

5. विशेष परिस्थितियों मे बैठक मे प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव डाक द्वारा सभी सदस्यो को वितरित किया जायेगा ऐसे प्रस्ताव के पारित माने जाने वाले हेतू कम से कम आधे सदस्यो एवं अध्यक्ष एवं सचिव की अनुमति आवश्यक होगी।

13. बैक खाता:–

ट्रस्ट के कोष के लिये किसी भी बैक मे खाते खोले जायेंगे यह खाते आवश्यकतानुसार किसी भी रूप मे खोले जा सकते है इन खातो का संचालन अध्यक्ष की आज्ञा एवं हस्ताक्षर से होगा।

14. ऋण व्यवस्था:– बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अधिकार होगा कि ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति हेतू समय–समय पर आवश्यकतानुसार बैक, वित्तीय संस्थाओं अथवा किसी व्यक्ति से ऋण स्वीकृत कराये जाये एवं इनकी प्रतिभूति के लिये ट्रस्ट की चल अचल सम्पत्ति को बन्धक रखे।

15. लेखा एवं अंकेक्षण:–

1. ट्रस्ट के खाते एवं अन्य विलेख सचिव द्वारा नियमित रूप से रखे जायेंगे सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वह विधि सम्मत वार्षिक लेखे तैयार करके बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को प्रस्तुत करे।

2. ट्रस्ट के वार्षिक लेखे प्रतिवर्ष चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षित किये जायेंगे एवं अंकेक्षण का व्यय ट्रस्ट द्वारा वहन किया जायेगा।

16. समापन:–

1. ट्रस्ट के सदस्य किसी स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रो मे किसी अन्य ट्रस्ट, संस्था

अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

19

भारतीय गैर न्यायिक

FIFTY RUPEES रु. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AH 650555

या धर्मार्थ संस्था को जिसके उद्देश्य इस विलेख के उद्देश्यो के समान है, इस आशय और प्रभाव के साथ कि ऐसा अन्य ट्रस्ट, संस्था या धर्मार्थ संस्था इस विलेख द्वारा संस्थित न्यास का अनिवार्य अन्त माना जायेगा। इस विलेख द्वारा संजित इस न्यास के साथ सभा मे लिप्त करने के लिये अनुज्ञात करने और मंजूरी देने हेतू स्वतन्त्र होंगे। परन्तु ऐसी कोई भी शर्ते स्वीकार नही की जायेगी जिनमे इस ट्रस्ट के नाम मे परिवर्तन अर्न्तवलित हो या जो ट्रस्ट के उद्देश्यो से असंगत या प्रतिकूल हो।

2. यदि किसी कारणवश यह ट्रस्ट समाप्त हो जाता है तब ऐसी दशा मे ट्रस्ट की सभी सम्पत्ति जो भी दायित्व या देनदारी के बाद बच जाती है वह ट्रस्टियो को न बाँटकर बल्कि किसी ऐसी ही संस्था या ट्रस्ट को जिसके उद्देश्य इस ट्रस्ट के अनुरूप हो, सौंप दी जायेगी।

अतः मैने अपनी सही सेहत व सही दिमागी हालत मे खूब सोंच

अध्यक्ष

उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

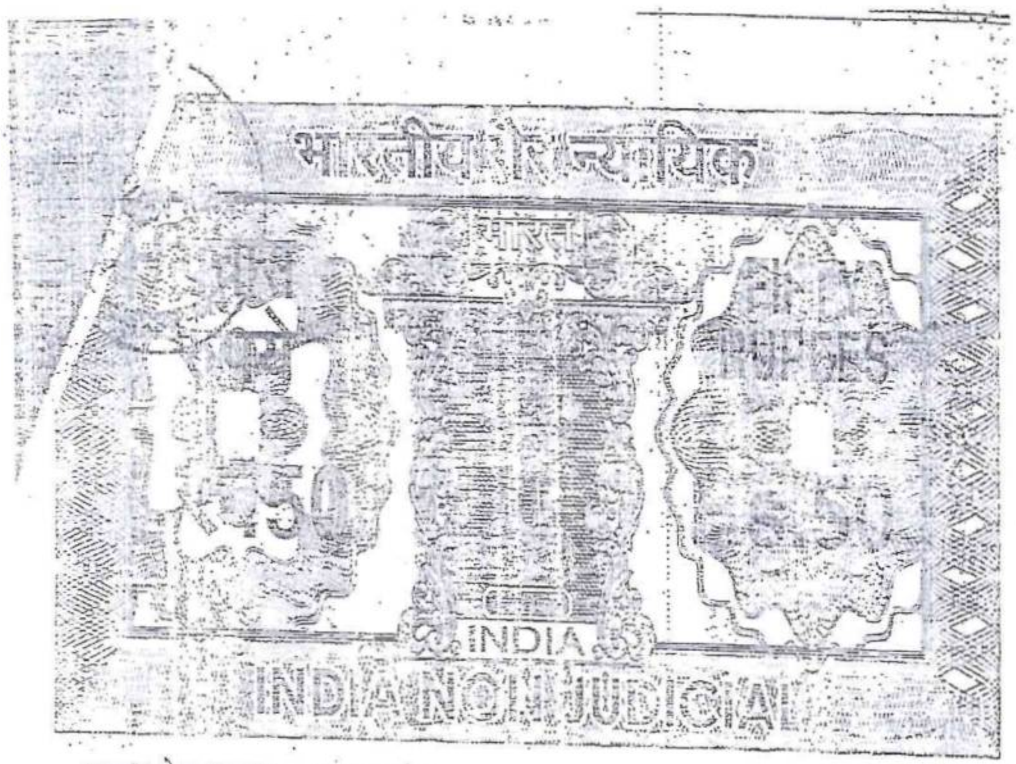

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AM 650556

व समझकर इस ट्रस्ट विलेख को लिख व लिखा दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

साक्षी: रवीन्द्र सिंह

साक्षी: ललित कुमार

रवीन्द्र कुमार S/o
श्री मानसिंह
ग्राम - मांडला
पो० - बरला
जि० मु०नगर

ललित कुमार S/o
श्री सुशील कुमार
ग्राम पो० रामपुर
जिला मु०नगर

तहरीर तारीख:- 27/12/2013ई0
ड्राफ्टकर्ता:- जितेन्द्र गोयल दस्तावेज लेखक तहसील सदर मुजफ्फरनगर

अध्यक्ष
उदय एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

21

5 27-12-13

501

आज दिनांक 30/12/2013 को

वही सं. 4 जिल्द सं. 151

पृष्ठ सं. 377 से 400 पर क्रमांक 362

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अनुपम माहेश्वरी [अनिल सिंह नि0लि0]

30/12/2013

अध्यक्ष
उदय एजूकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

Ankit
True Copy

22

Ref. No.: 1646/13-14

ANNEXURE A-2

National Early Childhood Care & Education

ISO 29990 : 2010 CERTIFIED

(RECD. - GOVT OF NCT OF NEW DELHI)

AUTHORIZATION CERTIFICATE

National Early Childhood Care & Education under its regular/correspondence course examination system is pleased to authorize following study centre, under I.T. Act-1882, to conduct Teaching Training Programs for five years from the Date of Issue.

Any centre which engages itself in activities prejudicial to the interest and honour of the NECCE or in the case of change of place without approval will lose the validity of this certificate with immediate effect. No recommendation shall be accepted under any circumstances.

1. Authorization No. with Date	1646/NECCE/UP/13-14 Dt.08/01/2014
2. Name of Director/Principal	MR. AMIT KUMAR
3. Name of Study Centre	UDAY EDUCARE
4. Postal Address	VILL & POST RAMPUR, TIRAHA, MUZAFFARNAGAR (UP)
5. Registered Office (if any)	N/A
6. Name of course	NTT & OTHER VOCATIONAL COURSES
7. Area of Operation	At Above Address

SECRETARY

CHAIRMAN

NECCE

Date: 08 JAN 2014

Place: New Delhi

अध्यक्ष
उदय एजूकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

Ankit
True Copy

True copy

Page 01 23

ANNEXURE A-3

प्रमाणित किया जाता है कि इस
रजिस्टर में 194 पेज है।

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर [illegible], मु0नगर
रजि0 सं0- 362

ए जुकेयर ... वेलफेयर ट्रस्ट
रामपुर, रामपुर तिराहा, मु०नगर
रजि० सं०- 362

एजेण्डा नं० - 01 :

आज दिनांक 02/01/2014 को उक्त ऐजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अवगत कराया जाता है कि उक्त ऐजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की एक बैठक ट्रस्ट के मुख्य कार्यालय रामपुर तिराहा (मु० नगर) में दिनांक 03/01/2014 दिन शनिवार को प्रातः 10:00 बजे होनी निश्चित हुई है। अतः सभी सदस्य समय पर पहुंचकर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

बैठक में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जायेगा।

1. ट्रस्ट के क्रिया कलापों पर विचार
2. H.E.C.C.E द्वारा संचालित N.T.T. व अन्य कोर्सों की मान्यता लेने पर विचार।
3. अन्य अध्यक्ष जी की आज्ञा से।

सदस्यों के नाम	पद	हस्ताक्षर
1. श्री अनिल कुमार	(अध्यक्ष)	[illegible]
2. श्री दुष्यन्त कुमार	(उपाध्यक्ष)	[illegible]
3. श्री दिनेश कुमार शर्मा	(सचिव)	[illegible]
4. श्रीमति अम्बा शर्मा	(कोषाध्यक्ष)	[illegible]
5. कुमारी पिंकी	(संरक्षक सदस्य)	Pinki

12

प्रस्ताव नं०-04

आज दिनांक 16/08/2018 को पूर्व सूचित एजेन्डा के आधार पर उदय एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की एक बैठक श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) की अध्यक्षता में की जा रही है। बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

बिन्दु	प्रस्ताव
1. नये सदस्य बनाने पर विचार	सचिव/अध्यक्ष श्री अमित कुमार जी ने प्रस्ताव रखा कि हमारी ट्रस्ट में 1. श्री संजीव कुमार S/o जगपाल सिंह कुराहेडी, मु० नगर 2. मो० नदीम S/o तजम्मुल हसन, लखनऊ 3. दीपक गाँधी S/o गुलशन कुमार गाँधी, करोलबाग, दिल्ली 4. विकास S/o योगेन्द्र, नारसन कलां हरिद्वार को नये सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है। जिनसे प्राप्त 2100×4 = 8400/- नकद प्राप्त हो चुके हैं। सभी उपस्थित सदस्यों ने सभी नाम सदस्यों को सदस्य बनाये जाने का समर्थन किया तथा यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया।
2. ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे कोर्सों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने पर विचार	श्री दिनेश कुमार त्यागी जी ने प्रस्ताव रखा कि ट्रस्ट द्वारा चलाये जा रहे कोर्सों में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। अतः सभी उपस्थित सदस्यो (नये सदस्यों सहित) को अपने

उदय एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मु0नगर
रजि० सं० 362

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मु०नगर
रजि० सं० 362

किया। और कोषाध्यक्ष श्री सचिन राणा व संरक्षक श्री दीपक गांधी का भी पदों के नियुक्ति के सम्बन्ध में बधाई दी।

अन्त में श्री अनिल कुमार (अध्यक्ष) जी ने ट्रस्ट के सभी सदस्यों को बताया कि ट्रस्ट की ओर से लगभग [illegible] पेड़ लगाने का विचार किया गया है। पेड़ खरीदकर उन्हें श्री संजीव कुमार की देखरेख में लगाने की सहमति प्रकट की सभी सदस्यों ने इस विचार पर अपनी सहमति प्रकट की। अन्त में अध्यक्ष जी ने बैठक समाप्ति की घोषणा की।

अध्यक्ष [signature] सचिव [signature]

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट

1. मो० नदीम (उपाध्यक्ष) मो० नदीम
2. ~~श्री संजीव कुमार (सचिव)~~
3. श्री सचिन राणा (कोषाध्यक्ष) सचिन राणा
4. श्री दीपक गांधी (संरक्षक) D.G.
5. श्री संजीव कुमार (सदस्य) संजीव कुमार
6. श्री विकास (सदस्य) विकास कुमार
7. श्री राम कृष्ण सिंह (सदस्य) [signature]

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मु०नगर
रजि० सं०- 362

— प्रस्ताव नं० — 08 —

आज दिनांक 15/10/2017 को पूर्व घोषित एजेन्डा के आधार पर उदय एजुकेशन एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की एक बैठक श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) की अध्यक्षता में की जा रही है। बैठक में निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

बिन्दु	प्रस्ताव
1 ट्रस्ट के क्रिया कलापों पर विचार	1 सर्वप्रथम श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) ने उपस्थित सभी सदस्यों को बताया कि श्री संजीव कुमार को जो 100 पेड़ लगवाने का कार्य दिया गया था वह पूर्ण कर दिया गया है और श्री संजीव कुमार का धन्यवाद देते हुए अध्यक्ष जी ने बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाने को कहा।
2 U.E.C.C.E द्वारा संचालित कोर्सों के सम्बन्ध में विचार	2 श्री सचिन राणा (कोषाध्यक्ष) ने बताया कि ट्रस्ट की ओर से जो कोर्स चलाये जा रहे है, उनमें एडमिशन नहीं आ रहे है। इसलिए इन कोर्सों को बन्द कर ट्रस्ट की ओर से समाज कल्याण के लिए और कार्य किये जाए। सभी उपस्थित सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया तथा यह प्रस्ताव पास किया गया।

अन्त में श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) जी ने बड़े दुःख के साथ सभी उपस्थित सदस्यों के सामने बताया कि श्री दिनेश कुमार त्यागी (सचिव) ने अपने कुछ पारिवारिक व आर्थिक समस्याओं के चलते अपने पद के कार्यों को करने में

आगे आने वाले समय मे असमर्थता जाहिर की है। इन्होने केवल ट्रस्ट के सदस्य पद पर रहकर ही ट्रस्ट के हित में कार्य करने पर अपनी सहमति जताई। सभी उपस्थित सदस्यों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और आगे से श्री दिनेश कुमार त्यागी को सदस्य के लिए नामांकित किया।

अन्त में अध्यक्ष जी ने सभी उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा कर दी।

अध्यक्ष [signature] सचिव [signature]

अध्यक्ष
उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

सचिव
उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट

1. मौ॰ नदीम (अध्यक्ष) — मौ॰ नदीम
2. श्री सचिन राणा (कोषाध्यक्ष) — सचिन राणा
3. श्री दीपक गाँधी (संरक्षक) — D. G.
4. श्री संजीव कुमार (सदस्य) — संजीव कुमार
5. श्री विकास (सदस्य) — विकास कुमार
6. श्री रामकृष्ण सिंह (सदस्य) — [signature]

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मु०नगर
रजि० नं०- 312

एजेण्डा न-10

आज दिनाँक 15-02-2019 को उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टि को अवगत कराया जाता है कि उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की एक बैठक गाँव मुराहेडी ट्रस्ट के सदस्य श्री संजीव कुमार S/o जयपाल सिंह के मकान पर दिनाँक - 20-02-2019 को दिन बुधवार को प्रात: 10 बजे होनी निश्चित हुयी है अत: सभी ट्रस्टि समय पर पहुँच कर अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें

बैठक में निम्न बिन्दुओ पर विचार किया जायेगा

1. ट्रस्ट के क्रिया कलापों पर विचार।
2. प्रदेश सरकार द्वारा काष्ट आधारित उद्योग की स्थापना की जा रही है जबकि प्रदेश मे वन बहुत कम है इसपर विचार।

सदस्यो के नाम:-	पद	हस्ताक्षर
1. श्री अमित कुमार	(अध्यक्ष)	[signature]
2. श्री मौ० नदीम	(उपाध्यक्ष)	मौ० नदीम
3. श्री सचिन राणा	(कोषाध्यक्ष)	सचिन राणा
4. श्री दीपक गाँधी	(संरक्षक)	D.G
5. श्री दिनेश कुमार त्यागी	(सदस्य)	[signature]
6. श्री संजीव कुमार	(")	संजीव कुमार
7. श्री विकास	(")	विकास कुमार
8. श्री रामकृष्ण सिंह	(")	[signature]

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मु०नगर
रजि० सं०- 362

प्रस्ताव – 10

आज दिनांक 20-02-2019 दिन बुधवार को पूर्व-घोषित एजेण्डा के आधार पर उदय एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट एक बैठक श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) की अध्यक्षता मे की जा रही है बैठक मे निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

बिन्दु	प्रस्ताव
1. ट्रस्ट के क्रियाकलापो पर विचार	1. सर्वप्रथम श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) ने उपस्थित सभी सदस्यो का बैठक मे उपस्थित होने पर धन्यवाद किया और ट्रस्ट के क्रिया कलापो पर विचार करते हुये आगे की कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा।
2. प्रदेश सरकार द्वारा काष्ट आधारित उद्योग की स्थापना को जा रही है जबकि प्रदेश मे वन बहुत कम है इस पर विचार	2. श्री संजीव कुमार (सदस्य) ने प्रस्ताव रखा कि प्रदेश मे प्रदेश सरकार कुछ काष्ट आधारित उद्योग जैसे आरा-मशीन, प्लाईवुड आदि के नये लाइसेंस जारी करने जा रही है जबकि प्रदेश मे वनो का क्षेत्रफल पहले से ही बहुत कम है और इन उद्योगो के लगने से तो प्रदेश में बहुत बड़ा पर्यावरण सम्बन्धि संकट जनता के सामने उत्पन्न हो जायेगा अतः इन उद्योगो को कोर्ट के माध्यम से तुरन्त रोकने का प्रयास किया जाये जिससे पर्यावरण की रक्षा की जा सके। इस प्रस्ताव

Date
Page 31

अध्यक्ष

उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

का सभी उपस्थित सदस्यो ने
हाथ उठा कर समर्थन किया और
प्रस्ताव पारित किया गया।

सदस्यो के नाम	पद	हस्ताक्षर
1. श्री मो० नदीम	(उपाध्यक्ष)	मो० नदीम
2. श्री सचिन राणा	(कोषाध्यक्ष)	सचिनराणा
3. श्री दीपक गांधी	(संरक्षक)	D.G
4. श्री दिनेश कु० त्यागी	(सदस्य)	[illegible]
5. श्री संजीव कुमार	(")	संजीव कुमार
6. श्री विकास	(")	विकासकुमार
7. श्री रामकृष्ण सिंह	(")	[illegible]

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर
रजि० सं०- 362

आज दिनांक 05-03-2019 दिन मंगलवार को पूर्व घोषित एजेण्डा के आधार उदय सेनुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट की एक बैठक श्री अमित कुमार की अध्यक्षता मे की जा रही है बैठक मे निम्न प्रस्ताव पारित किये गये।

बिंदु	प्रस्ताव
1. ट्रस्ट के क्रिया कलापो पर विचार	1. सर्वप्रथम श्री अमित कुमार ने उपस्थित सभी सदस्यो का धन्यवाद किया और ट्रस्ट की कार्यवाही आगे शुरू करने के लिए।
2. श्री संजीव कुमार द्वारा अपने कार्यों का ब्यौरा देने पर विचार	2. श्री संजीव कुमार ने उपस्थित सभी सदस्यो को बताया कि ट्रस्ट द्वारा कास्ट आधारित उद्योगो पर रोक लगाने के लिए ट्रस्ट की ओर से वाद प्रस्तुत करने के लिए एक वकील (श्री विवेक गुप्ता) को चुना गया वकील की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि वह ट्रस्ट द्वारा पर्यावरण सम्बन्धित वादो के लिए कोई फीस नही लेगे अब ट्रस्ट के द्वारा NGT कोर्ट मे कास्ट आधारित उद्योग के खिलाफ वाद प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रस्ताव का सभी उपस्थित सदस्यो ने हाथ उठाकर समर्थन किया।

अन्त मे श्री अमित कुमार (अध्यक्ष) जी ने श्री संजीव कुमार का पर्यावरण सम्बन्धित कार्यो की देखरेख के लिए धन्यवाद किया और बैठक समाप्ति की घोषणा की।

अध्यक्ष [signature]

अध्यक्ष
उदय एजुकेयर एण्ड वेलफेयर ट्रस्ट

सदस्यो का नाम	पद	हस्ताक्षर
1. श्री मो० नदीम	(उपाध्यक्ष)	मो० नदीम
2. श्री सचिन राणा	(कोषाध्यक्ष)	सचिन राणा
3. श्री दीपक गांधी	(संरक्षक)	D.G.
4. श्री दिनेश कु० त्यागी	(सदस्य)	[signature]
5. श्री संजीव कुमार	(")	संजीव कुमार
6. श्री विकास	(")	विकास कुमार
7. श्री रामकृष्ण सिंह	(")	[signature]

उदय एजुकेयर एंड वेलफेयर ट्रस्ट
ग्राम रामपुर, रामपुर तिराहा, मु०नगर
रजि० सं०- 362

Ankit
True Copy

ANNEXURE A-4

34

कार्यालय वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सहारनपुर वृत्त, सहारनपुर।

पत्रांक– 3098 /22–1 सहारनपुर, दिनांक 28-2-2018।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

विषयः– **अवैध रूप से कम्प्रेशर मशीन चलाकर लकड़ी चीरना व जड़ फाड़ना।**

सन्दर्भः आपका पत्रॉक स्टा0अ0 687/41–1 दिनॉक 08.02.2018

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में एवं श्री इसरार, निसार, अफजाल, इरफान, अशर, मोबीन एवं विकास के स्तर से प्रस्तुत शिकायती पत्र पर की जॉच हेतु मुजफ्फरनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत श्री सतीश कुमार बन्सल, क्षेत्रीय वनाधिकारियों की अध्यक्षता तीन क्षेत्रीय वनाधिकारियों की टीम गठित कर, शिकायत कर्ताओं के समक्ष स्थलीय निरीक्षण/जॉच कराकर जॉच रिपोर्ट प्राप्त करें तथा जांच की पुष्टि हेतु स्वयं भी मौके का निरीक्षण कर अपनी आख्या प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्रॉक 2668/22–1 दिनॉक 29.01.2018 द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया था।

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर ने अपने पत्रॉक 3605/22–1 दिनॉक 26.02.2018 जॉच कर जॉच आख्या इस कार्यालय को प्रस्तुत की है, जो निम्नानुसार है :–

"मुजफ्फरनगर वन प्रभाग के अन्तर्गत मुजफ्फरनगर व मोरना रेंज में चल रही कम्प्रेशर मशीनों को बंद कराने हेतु इस कार्यालय के पत्रॉक 3160/22–1 दिनॉक 01.02.2018 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा श्री सतीश कुमार बंसल, क्षेत्रीय वन अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, समिति द्वारा अवगत कराया गया कि "कम्प्रेशर मशीन की वैधानिकता के संबंध में आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2017 (षष्टम संशोधन) में दी गई "आरामिल" की परिभाषा का भी अवलोकन किया गया। जिसमें यह तथ्य उभर कर आया है कि प्रेशर मशीन स्थाई रूप से न तो स्थापित होती है, न किसी प्रकार की लकड़ी का चिरान करती है। इस संयंत्र द्वारा मात्र ईधन के प्रयोगार्थ जड़ को फाड़कर टुकड़े किये जाते हैं तथा उसका ईधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसमें किसी भी पकार का चिरान नहीं आता हैं।"

अतः समिति के मतानुसार कम्प्रेशर मशीन (लकड़ी की जड़ों को फाड़ने वाला संयंत्र) किसी भी प्रकार से आरामिल की श्रेणी में नही आना चाहिए। (छाया प्रति संलग्न)

उ0प्र0 आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2017 (षष्टम संशोधन) Notification No 2903/14–2–2017–165G/2017dated 04 December 2017 में "round log" "Saw mills" को निम्नवत् परिभाषित किया जाता है :–

(d) 'Round log' means a piece of wwod in its natural form, having mid girth of thirty centimeter or more under bark and it includes such round log even after its bark has been removed or its surface has been dressed, manually or ny usins a band saw or any other machine or equipment to makes its cross section square or near-square for the purpose of ease in its transportation and/or storage.

(e) 'Saw mill', means plants and machinery in a fixed structure or enclosure, for conversion of round logs into sawn timber.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के संकल्प 2625 दिनॉक 11.09.2017 के बिन्दु संख्या 6 (ii) ', जो उक्त नियमावली (शासनादेश संख्या–2903 / 14–2–2017–165G / 2017, दिनांक 04.12.2017) के नियम 15 में उल्लिखित है, को अग्रिम आदेशों तक मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ की रिट याचिका सं0 1866 / 2018 दिनांक 24.01.2018 द्वारा implrment न करने के निर्देश दिये गये हैं। बिन्दु सं0 6(ii) को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:–

(ii) निम्नलिखित उद्योग / प्रसंस्करण संयंत्र जो घरेलू मूल के गोल लठ्ठों का प्रयोग नही करते हैं या 30 सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड आरा या री–सॉ या चक्रीय आरा कि बिना प्रचालन करते हैं, के लिए लाइसेंस अपेक्षित नही होगा।

ऐसे उद्योगों / प्रसंस्करण संयंत्र जिनमें निम्नलिखित का प्रयोग होता है:–

क– चीरी हुई इमारती लकडी, बेंत, बांस, नरकट, प्लाईवुड, विनियर या जायज स्रोतों से प्राप्त आयातित लकड़ी

ख– ब्लॉक मोर्ड, एमडीएफ या जायज स्रोतों से प्राप्त इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद

ग– कृषि वानिकी / कृषिगत फसलों के रूप में घोषित प्रजातियां और / या संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र से छूट प्राप्त और जायज स्रोतों से प्राप्त गोल लठ्ठे / इमारती लकड़ी तथापि, संबंधित राज्य की एसएलसी द्वारा विशिष्ट अपेक्षा वाले ऐसे उद्योगों में 60 सेंटीमीटर तक व्यास के चक्रीय आरा को परिभाषित करने की अनुमति दी जा सकती है।

ऐसे उद्योग संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के वन विभाग से पंजीकृत और विनियमित होंगे, जिसके ब्यौरे संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विहित किए जायेंगे। (संलग्नक–3)

उपरोक्त समिति तथा अधोहस्ताक्षरी के मतानुसार "कम्प्रेशर मशीन" के फोटाग्राफ्स (संलग्नक–4) से स्पष्ट है कि यह मशीन गोल प्रकाष्ठ का चिरान करने में असमर्थ है, क्योंकि चिरी हुई लकड़ी को उ0प्र0 आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2017 (षष्टम संशोधन) के बिन्दु सं0 2(1)(f) में परिभाषित किया गया है कि :–

(f) 'Sawn timber means beams, scantlings, planks, battens and such other product obtained from sawing of a round log. ज्बकि इस मशीन में कोई आरा न होकर मात्र एक कुल्हाडा लगा है जिस पर जडों को मात्र ईधन के उपयोग हेतु फाडा जा रहा है। मौके पर जाकर जांच करने पर निम्न तथ्यों की पुष्टि हुई:–

1– यह मशीन न तो किसी परिसर में और न ही स्थाई रूप से स्थापित है।

2– न तो इस मशीन में गोल प्रकाष्ठ का प्रयोग किया जा रहा है।

3– न ही इस मशीन द्वारा कोई चिरान किया जा रहा है बल्कि जड़ों को फाड़ा जा रहा है।

यह भी समीचीन है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक स्टा0अ0 687 / 41–1 दिनांक 08.02.2018 में निर्देशित किया गया है कि किसी भी दशा में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों की अवमानना न हो। इस संबंध मे अवगत कराना है कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन किया जा रहा है तथा समस्त कम्प्रेशर मशीनों को आपके निद्रेशानुसार बन्द करा दिया गया है। उक्त पत्र द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है किसी भी Interpretation हेतु अधोहस्ताक्षरी सक्षम अधिकारी नही हैं।

यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबन्ध में उ0प्र0 आरामिल की स्थापना एवं विनियमन नियमावली 2017(षष्टम संशोधन) के बिन्दु सं0 2(3) में उल्लिखित किया गया है कि:

2(3) In case of any dispute regarding interpretation of any wood or expression, the decision of the Ministry of Enviroment, Forest and Climate Change Shall be final.

अतः आपसे अनुरोध है कि कम्प्रेशर मशीन की वैधता/अवैधता पर **MOEFC** से ही **Interpretation** कराये जाने तथा साथ ही अग्रेतर आदेश/निर्देश देने का कष्ट करें।"

प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर से प्राप्त उक्तानुसार तथ्यात्मक आख्या पर सहमति व्यक्त करते हुये आख्या प्रेषित है। अतः आपसे अनुरोध है कि कम्प्रेशर मशीन की वैधता/अवैधता पर **MOEFC** से ही **Interpretation** कराये जाने तथा साथ ही अग्रेतर आदेश/निर्देश देने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोपरि

भवदीय,

(सुनील कुमार दुबे)
वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर

पत्रॉक 3098/22–1 दिनॉकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मुजफ्फरनगर को उनके पत्रांक 3605/22–1 दिनांक 26.02.2018 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

(सुनील कुमार दुबे)
वन संरक्षक,
सहारनपुर वृत्त,
सहारनपुर।

Ankit
True Copy

आम की लकडी
कमप्रेशर मशी
से चीरते हुऐ

आम की लकडी
कमप्रेशर से
चीरते हुऐ

नीम आम सिसम
सागोन आदि

03 हिन्दुस्तान मेरठ • गुरुवार • 14 मार्च 2019

20° अधिकतम | 08° न्यूनतम | सूर्योदयः 06:44 सूर्यास्तः 18:29

मुजफ्फरनगर

कागजों में सूखा दिखा दे डाली हरे-भरे पेड़ काटने की अनुमति

मुजफ्फरनगर | हमारे संवाददाता

खतौली के गांव बोपाड़ा मोड़ पर बुधवार को आम के बाग में काटे गए हरे-भरे फलदार वृक्ष व मौके पर मौजूद पुलिस। • हिन्दुस्तान

जिला उद्यान व वन विभाग ने खतौली के गांव भूड़ में आम के बाग में हरे-भरे पेड़ों को कागजों में सूखा दर्शा कर 33 पेड़ काटने की अनुमति दे डाली। ठेकेदार ने मौके पर पहुंचकर फलदायी पेड़ों को काटना शुरू किया तो ग्रामीणों ने एडीएम प्रशासन से शिकायत कर दी। उनके निर्देश पर पहुंचे एसडीएम मौके पर पहुंचे और तत्काल प्रभाव से पेड़ों की कटाई को रुकवाया।

जिला प्रशासन वार्तावरण को शुद्ध करने के लिए पेड़ पौधे लगवा रहा है, वहीं जिला उद्यान व वन विभाग के अधिकारी हरे-भरे पेड़ों को कटवा रहे है। इस तरह का चौकाने वाला मामला खतौली क्षेत्र के गांव भूड़ में देखने में आया है। भूड़ गांव में आम का काफी बड़ा बाग है। इस बाग में विभिन्न फलदायी पेड़ है। वहीं सभी पेड़ हरे भरे है और अधिकांश पेड़ों पर मौल भी आया हुआ है। डीएचओ ने इस बाग के 33 हरे भरे मौल वाले पेड़ों को सूखा बताकर पेड़ों को हटाने की अनुमति दे दी। उनकी अनुमति रिपोर्ट पर वन विभाग के डीएफओ ने भी कोई जांच-पड़ताल नहीं कराई और उन्होंने भी 33 पेड़ों को काटने की संस्तुति कर दी। ठेकेदार ने बाग में पहुंचकर पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने एडीएम प्रशासन से की। एडीएम ने जांच के लिए एसडीएम को मौके पर भेजा। एसडीएम को मौके पर हरे भरे पेड़ कटे हुए मिले। उन्होंने तत्काल प्रभाव से पेड़ों की कटाई को रोक दिया।

डीएचओ ने किया गुमराह, बताए सूखे पेड़ : खतौली के गांव भूड़ में आम के बाग में खडे हरे भरे पेड़ों को सूखा बताकर जिला उद्यान अधिकारी (डीएचओ) ने अधिकारियों को गुमराह किया है। हरे भरे और मौल, फलदायी पेड़ों की सूखा होने की एनओसी देकर डीएचओ ने पेड़ कटवा दिए। आम के बाग में करीब 33 पेड़ों को काटने की अनुमति दी हुई है। डीएचओ की रिपोर्ट पर डीएफओ ने भी कोई जांच पड़ताल नहीं कराई और पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी। मामले में एडीएम प्रशासन ने जांच कराने के आदेश दिए हैं।

एडीएम प्रशासन अमित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों से शिकायत मिली थी कि आम के बाग में हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। एसडीएम को मौके पर भेज कर पेड़ों की कटाई रुकवाई गई है। डीएफओ से इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि डीएचओ ने पेड़ों को सूखा बताकर पेड़ों को काटने की अनुमति दी हुई है। डीएचओ से वार्ता की जाएगी और जांच कराई जाएगी।

कार्यशैली पर सवाल

- शिकायत पर एसडीएम मौके पर पहुंचे और रुकवाया पेड़ों की कटाई का कार्य
- आम के बाग में हरे भरे पेड़ों को सूखा बताकर वन विभाग ने दी काटने की अनुमति

"खतौली के गांव भूड़ में आम के बाग में लगे 33 पेड़ों को काटने की अुनमति डीएचओ ने दी हुई है। उनकी रिपोर्ट पर मैंने संस्तुति की है। पेड़ों पर मौल और फल आने की जानकारी नहीं थी। शिकायत मिलने पर पेड़ों की कटाई को तत्काल प्रभाव से रुकवा दिया गया है।

-सूरज, डीएफओ

मंडी में बिकने जा रहा सरकारी राशन पकड़ा

मुजफ्फरनगर | हमारे संवाददाता

खतौली की मंडी में बिकने जा रहे सरकारी राशन को ग्रामीणों की शिकायत पर डायल 100 की गाड़ी ने खतौली के समीप हाईवे पर पकड़ लिया। सूचना मिलने पर राशन डीलर पति मौके पर पहुंचा। आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात मानकर राशन छोड़ दिया। जिसकी शिकायत गांव नावला के लोगों ने एडीएम प्रशासन से की।

बुधवार की सुबह करीब चार बजे गांव नावला के लोगों ने खतौली हाईवे पर दो टाटा एस गाड़ियों को पकड़ा। इन गाड़ियों ने सरकारी राशन करीब 65 कुंतल गेहूं और चावल को कट्टे बदल कर रखा हुआ था। ग्रामीणों की शिकायत पर डायल 100 की गाड़ी मौके पर पहुंची दोनों गाड़ियों को कब्जे में लीं।

उधर मामले की सूचना मिलने पर राशन डीलर पति भी कुछ ग्रामीणों को लेकर मौके पर पहुंच गया। बताया जाता है कि राशन डीलर पति ने जिला पूर्ति विभाग के एक अधिकारी से पुलिस की बात कराई। कुछ देर के बाद पुलिस ने दोनों गाड़ियों को छोड़ दिया। ग्रामीणों ने हंगामा भी किया। नावला के ग्रामीणों ने एडीएम प्रशासन से शिकायत की है।

ग्रामीणों की मानें तो राशन की काला बाजारी को लेकर कुछ राशन डीलरों की सांठगांठ जिला पूर्ति विभाग में है। जिनकी मदद से सरकारी राशन की कालाबाजारी हो रही है। खतौली हाईवे पर पकड़े गये राशन को छुड़वाने के लिए राशन डीलर पति ने जिला पूर्ति विभाग के एक अधिकारी को फोन किया और फिर बाद में उक्त अधिकारी की बात पुलिस से कराई। पुलिस ने गाड़ी को छोड़ दिया। इस तरह के कई सवाल जिला पूर्ति विभाग को घेर रहे है। जिला पूर्ति अधिकारी सुनील कुमार पुष्कर ने बताया कि मामला मेरे संज्ञान में नहीं है। खतौली पूर्ति निरीक्षण से पूछना पड़ेगा। इस मामले में खतौली एसडीएम की कुछ कार्रवाई कर सकते हैं।

पुलिस ने छोड़ा

- कट्टे बदलकर 65 कुंतल सरकारी गेहूं और चावल को दो गाड़ियों से ले जाया जा रहा था
- हाईवे पर पकड़े गए सरकारी राशन को छोड़ने पर ग्रामीणों ने एडीएम प्रशासन से की शिकायत

नावला के कुछ ग्रामीण शिकायत लेकर आए थे। ग्रामीणों ने बताया था कि सुबह दो गाड़ियों में सरकारी राशन करीब 65 कुंतल गेहूं और चावल खतौली की मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। पुलिस ने छोड़ दिया। इस मामले की जांच कराई जाएगी।

अमित कुमार, एडीएम प्रशासन

गवाह हत्याकांड : कचहरी में तारीख पर जाने के दौरान आरोपियों के आसपास देखे गए संदिग्ध युवकों पर हत्या का आरोप

तीन महीने से कर रहे थे रेकी

हिन्दुस्तान फॉलोअप

खतौली | हमारे संवाददाता

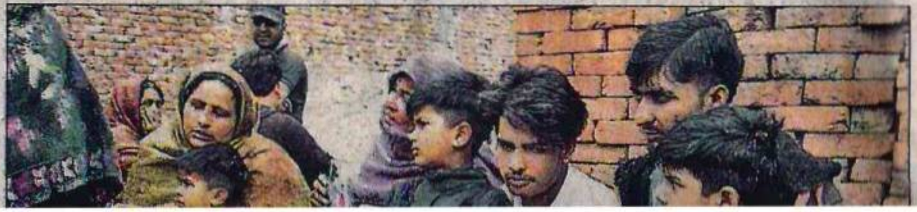

दंगे में मारे गए भाइयों के केस में गवाह

पुलिस की जांच में फंसे संदिग्ध मोबाइल नंबर

मुजफ्फरनगर | हमारे संवाददाता

खतौली में घंटाघर चौक के समीप दूध विक्रेता की हत्या में छह स्थानों से लिए गए बीटीएस में पुलिस को कुछ संदिग्ध

कई से पूछताछ

- दूध विक्रेता की हत्या में लिए गए बीटीएस में पुलिस को सफलता
- – कई बिन्दुओं से जांच सिमट अहम

कारोबारी को बंधक बना

41

ANNEXURE A-6

Item No. 02 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

(By Video Conferencing)

Original Application No. 118/2022
(I.A. No. 208/2022)

Uday Education & Welfare Trust Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 14.10.2022

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE ADARSH KUMAR GOEL, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE PROF. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Brijender Chahar, Senior Advocate with Mr. Ankit Verma, Advocate

Respondents: Mr. Pradeep Misra & Mr. Daleep Dhyani, Advocates for UPPCB

ORDER

1. Grievance in this application is against illegal operation of chipper/cutter machines by respondent Nos. 5 to 37 and other unknown persons in District Muzaffarnagar, UP having the effect of illegal cutting of trees and illegal running of saw mills.

2. According to the applicant, the said respondents as well as others are using such machines for converting round timber into small chips and pieces to make the raw material for MDF/HDF and particle Board Units, without following regulatory regime under U.P. Saw Mill Rules, 1978, as amended upto 2017. The statutory authorities have failed to

take remedial action as per MoEF&CC Guidelines dated 11.11.2016. 40 HP power engines are used in the process which requires obtaining of license from the Forest Department.

3. Vide order dated 23.03.2022, the Tribunal sought a factual report in the matter from a joint Committee of Commissioner, Saharanpur, DIG, Saharanpur, State PCB, and PCCF (HoFF), U.P.

4. In pursuance of above, a report of the joint Committee has been filed on 04.08.2022, after undertaking field visits to the concerned units. The Committee found that only Eucalypts/Popular trees have been cleared. It is found that to remove the branches and twigs of Eucalypts/Popular trees in the form of wood logs and Chipper/Cutters, farmers cut the branches and twigs into the pieces which is sold to industries as a fuel and cleared wood logs are sold to timber merchants/wood-based industries. Recommendations in the report are as follows:-

> ***"Recommendations:-***
>
> *The nominated joint committee visited the site and based on the field Observation/Interactions with the representative present during visit, the following is recommended:-*
>
> 1. *The fixed Chipper machines are also called as "Kutti" Machines by local farmers. Eucalypts/Popular Trees are grown by farmers in their field and the lops and tops of these trees are cut to small pieces through these chipper machines and sold to local industrial unit. These are not categorised as saw mills and may not be regularized.*
>
> 2. ***Chipper/Cutter Machines that are used to cut round logs of the dia more than 10 centimetre and using high power Engines/Motors required to be inventorised and regulated through a guidelines made by Forest Department."***

5. We are of the opinion that having regard to the nature of activity found, no interference by this Tribunal is called for except that the recommendations of the Committee may be acted upon by the Forest Department of UP.

The application is disposed of.

I.A. No. 208/2022 also stands disposed of accordingly.

A copy of this order be forwarded to PCCF (HoFF), UP by e-mail for further action in accordance with law.

Adarsh Kumar Goel, CP

Sudhir Agarwal, JM

Prof. A. Senthil Vel, EM

Dr. Afroz Ahmad, EM

October 14, 2022
Original Application No. 118/2022
(I.A. No. 208/2022)
SN

Ankit
True Copy

Gmail

PROOF OF SERVICE

Ankit Verma <ankitv0023@gmail.com>

Additional Affidavit in n O.A No. 345/2022, titled as Uday Education & Welfare Trust Vs. UOI & Ors.

1 message

Ankit Verma <ankitv0023@gmail.com> Sat, Jan 7, 2023 at 12:13 PM
To: rajeshsinghadv@gmail.com

Sir,

Please find the attached pdf. of Additional Affidavit on behalf of Applicant in O.A. No.345 of 2022 Listed on 09.01.2023.

Thanking you,

ANKIT VERMA,
Advocate for the Applicant

Additional Affidavit.pdf
9725K